

उत्तर प्रदेश शासन,  
राजस्व अनुभाग-13  
संख्या 5/2018/253/एक-13-2018-5क(25)/2018टी.सी.  
लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2018  
**कार्यालय-जाप**

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-३० सन 2013) के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिये भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा 4 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में अधिसूचना संख्या-22/एक-13-2018-रा0-13 दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत निम्नवत बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है-

क्र	नाम	पता/ मोबाइल नंबर/ ईमेल ID	
1	1-डॉ० के० एस० राव एसोसिएट प्रोफेसर।	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर ओ अलीगंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9958007599 ईमेल ID- kesana22@gmail.com, kesana22@rediffmail.com, kesana22@yahoo.com	दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिकी
	2-डॉ० प्रशांत कुमार त्रिवेदी एसोसिएट प्रोफेसर।	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर ओ अलीगंज लखनऊ। मोबाइल नंबर 9415215596 ईमेल ID- prashantesd@gmail.com	
2	1-श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री भगवान सिंह ग्राम प्रधान रोही व पारोही।	ग्राम रोही, परगना व तहसील जेवर, गौतम बुद्ध नगर। (मोबाइल नंबर 9627728244)	पंचायत, ग्रामसभा, नगरपालिका या नगरनिगम के 2 प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो।
	2-श्री तेजवीर पुत्र श्री राजपाल, ग्राम प्रधान किशोरपुर ।	ग्राम किशोरपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल संख्या 8979 8995 964	
3	1- प्रोफेसर एस. पी. सिंह ।	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी. रुड़की। (मोबाइल नंबर 987714002 ईमेल ID- singhfhs@iitr.ac.in)	पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	2- प्रोफेसर जेड. रहमान।	हेड, मैनेजमेंट स्टडीज विभाग, आईआईटी रुड़की। (मोबाइल नंबर 9897052333, ईमेल ID-yusuffdm@iitr.ac.in)	
4	श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता।	मुख्य अभियंता, इंडो नेपाल बॉर्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।(मोबाइल नंबर 9415034883,)	परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ

2- उपरोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन, अधिनियम की धारा- 7 की उपधारा (4) और (5) में दी गई शर्तों के अंतर्गत करेगा और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 2 माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा।

सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव।

संख्या 5/2018/253(1)/एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 प्रमुख सचिव, नगरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर।
- 3 निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4 रजिस्ट्रार, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।
- 5 मंडलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
- 6 डॉ० के. एस. राव, एसोसिएट प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
- 7 डॉ० प्रशांत कुमार त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, , गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
- 8 प्रोफेसर एस. पी. सिंह, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी. रुड़की।
- 9 प्रोफेसर जेड. रहमान, हेड, मैनेजमेंट स्टडीज विभाग, आई.आई.टी. रुड़की ।
- 10 श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, इंडो नेपाल बॉर्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री भगवान सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम रोही परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्ध नगर।
- 12 श्री तेजवीर पुत्र श्री राजपाल, ग्राम प्रधान किशोरपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्ध नगर।
- 13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
किंजल सिंह  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2018/284/एक-13-2018-7क(1)/18

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

राजस्व अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2018

**विषय:** भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियम 3(ड)(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार समुचित सरकार समझे जाने के संबंध में।

**महोदय,**

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का अधिनियम संख्या 30) के अंतर्गत 100 एकड़ से अनधिक क्षेत्र तक की भूमि के अधिग्रहण का अधिकार, क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत, पृथक-पृथक परियोजनाओं के लिए, जिलाधिकारियों को अधिसूचना संख्या 491/एक-13-2014-7क(51)-2014 दिनांक 6 अगस्त, 2014 द्वारा समुचित सरकार माना गया है। भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या-30) की धारा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3(ड)(1) में राज्य सरकार के मामलों में समुचित सरकार को निम्नवत परिभाषित किया गया है -

"किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार"

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि बिजनेस ऑफ यूपी (एलोकेशन) रूल्स, 1975 के अनुसार शासन का प्रत्येक विभाग अपने विभाग की आवश्यकता के लिए भूमि अध्याप्ति के मामलों में स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करता है।

2- उपरोक्त प्राविधानों का स्पष्ट आशय है कि सौ एकड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए योजनाओं से संबंधित शासन के प्रशासकीय विभाग समुचित सरकार हैं और उन्हीं के द्वारा सौ एकड़ से अधिक की योजनाओं के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या-30) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जाना है। अतः भूमि अध्याप्ति से संबंधित संदर्भ, शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाएं। राजस्व विभाग द्वारा, प्रशासकीय विभागों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा उठाई गई कठिनाइयों को दूर करने हेतु परामर्श दिया जाएगा। प्रशासकीय विभागों/अनुभागों द्वारा ही उक्त अधिनियम के विषय में शंका समाधान हेतु केवल परामर्श के मामले राजस्व विभाग को संदर्भित किए जाएंगे।

**भवदीय,  
सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव।**

संख्या-2/2018/284(1)/एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश /समस्त जिला अधिकारी , उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, निदेशालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- 7- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,  
किंजल सिंह  
विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।